(ii) वे क्षेत्र जिनमें महत्वपूर्ण घरेलू जैव विविधता और/या प्रतिनिधि कृषि प्रणाली हैं, जो निरंतर कृषि प्रथाओं द्वारा इस विविधता को बनाए रखते हैं।

(iii) जैव विविधता और/अथवा संस्कृति के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण क्षेत्र, जिनमें पवित्र उपवन/वृक्ष और स्थल, या अन्य बड़े समुदाय-संरक्षित क्षेत्र।

(iv) वे क्षेत्र, चाहे वे कितने भी छोटे क्यों न हों, जो लुप्तप्राय और स्थानीय वन्यजीवों और पौधों के लिए शरण या मार्ग प्रादन करते हैं, जैसे कि समुदाय संरक्षित क्षेत्र, शहरी हरित क्षेत्र (पार्क) और जलीय क्षेत्र (तालाब आदि)।

(v) सरकारी, सामुदायिक या निजी भूमि सहित विभिन्न प्रकार के वैधानिक भूमि उपयोग उपरोक्त श्रेणियों में शामिल किये जा सकते हैं।

(vi) जितना संभव हो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षित क्षेत्र नेटवर्क के अंतर्गत नहीं आने वाले स्थलों को विचार किया जा सकता है।

(vii) मौसमी प्रवासी प्रजातियों के रहने, खाने और प्रजनन के लिए उपयुक्त जलीय या स्थलीय क्षेत्र।

(viii) वन विभाग के अनुसंधान प्रभाग द्वारा संरक्षित प्लॉट के रूप में रखे गए क्षेत्र।

(ix) औषधीय पौधा संरक्षण क्षेत्र।

8. झारखण्ड राज्य में जैव विविधता विरासत स्थल

झारखण्ड राज्य में अबतक (नवम्बर, 2024 तक) कुल 80 स्थलों को बीएचएस के रूप में अधिसूचित करने के लिए चिन्हित किया गया है एवं संबंधित जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा प्रस्ताव पर्षद् को प्राप्त है।

9. जैव विविधता विरासत स्थल घोषित करने की प्रक्रिया

प्रस्तावित स्थल को अधिनियम अंतर्गत बीएचएस अधिसूचित करने हेतु संबंधित स्थानीय निकाय (पंचायत/नगर निकाय) द्वारा प्रस्ताव पारित किया जाएगा। इन्हें पर्षद् द्वारा समीक्षा कर अधिसूचना हेतु कार्रवाई की जाएगी।

10. जैव विविधता विरासत स्थल हेतु प्रस्ताव किनके माध्यम से शुरू किया जा सकता है?

a. जैव विविधता प्रबंधन समितियां

b. सामुदायिक संस्थान (यथा - ग्राम सभा, पंचायत, शहरी वार्ड, वन सुरक्षा समिति, आदिवासी परिषद, अन्य)

c. अन्य पर्यावरणीय योजनाओं के तहत पर्यावरण और विकास उद्देश्यों के लिए स्थापित संस्थान

d. गैर सरकारी संस्थाएं

11. जैव विविधता विरासत स्थलों का प्रबंधन

जैव विविधता प्रबंधन समिति (बीएमसी) अथवा बीएमसी की अनुपस्थिति में प्रासंगिक स्थानीय निकाय द्वारा निर्धारित अन्य उपयुक्त संस्थान, अधिनियम में परिभाषित अपने कर्तव्यों के अलावा, प्रत्येक बीएचएस के प्रबंधन का भी ध्यान रख सकते हैं।

जहां बीएचएस एक से अधिक स्थानीय निकायों तक फैला हुआ है, बीएचएस के प्रबंधन की जिम्मेवारी जैव विविधता प्रबंधन समितियों द्वारा गठित जैव विविधता विरासत स्थल प्रबंधन समिति अथवा जहां बीएमसी का अस्तित्व नहीं है, स्थानीय निकाय से जुड़े अन्य प्रासंगिक संस्थान की होगी, जो पर्षद् द्वारा अनुमोदित होगी।

झारखण्ड जैव विविधता पर्षद्, रांची
विद्यालय मार्ग 'सी', अशोक नगर, राँची, झारखण्ड
दूरभाष : 0651-3506746 **ई-मेल** : jbbranchi@gmail.com
X : @JBB_Ranchi Instagram : Jbb_ranchi
f : https://www.facebook.com/p/jharkhand-biodiversity-board-61567870003255/

4154_11_24_Kailash Paper, Ranchi • 1800 889 4101 (Nov. 2024-100)

जैव विविधता विरासत स्थल
हमारी प्रकृति का अमूल्य धरोहर

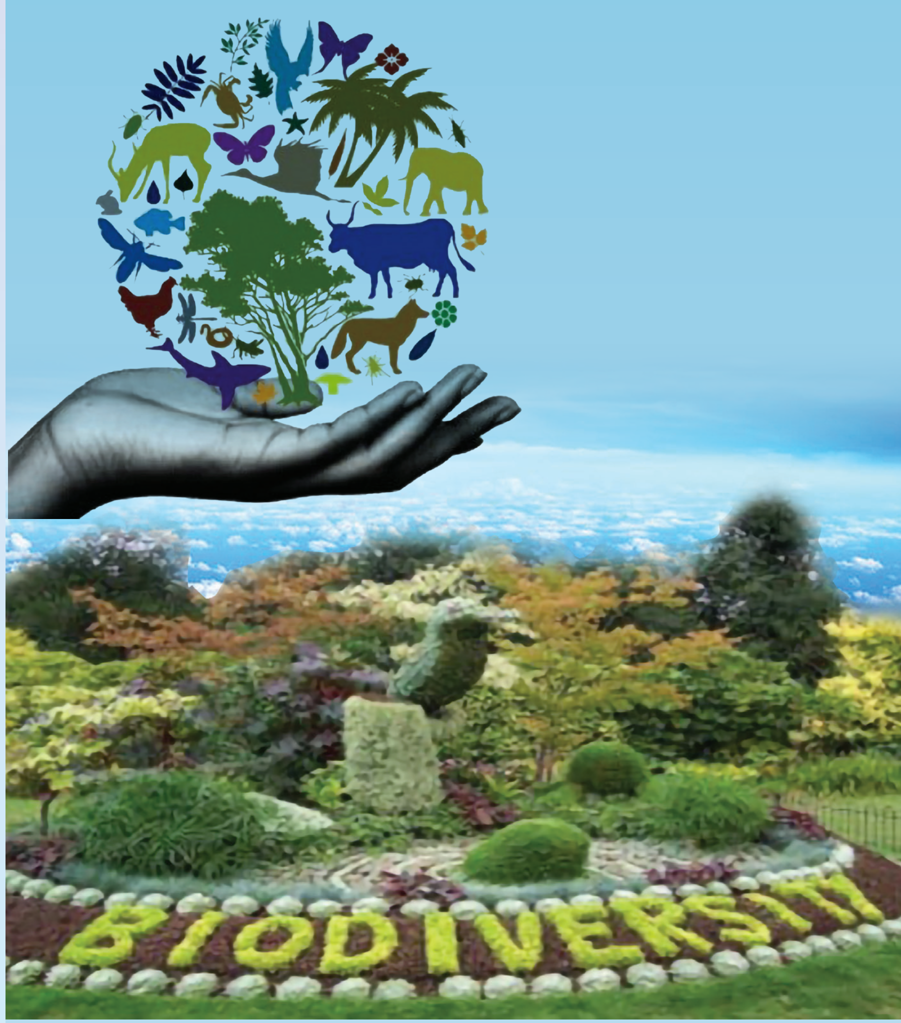

झारखण्ड जैव विविधता पर्षद्
वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग,
झारखण्ड सरकार

1. परिचय

जैव विविधता (संशोधन) अधिनियम, 2023 की धारा-37 के अंतर्गत स्थानीय समुदाय के परामर्श से राज्य सरकार जैव विविधता के महत्व वाले क्षेत्र को जैव विविधता विरासत स्थल (BHS) अधिसूचित कर सकती है।

जैव विविधता विरासत स्थल वे प्राकृतिक क्षेत्र हैं जो जैविक विविधता की दृष्टि से महत्वपूर्ण होते हैं और जिनका संरक्षण करना हमारी प्राकृतिक विरासत के लिए आवश्यक है।

2. जैव विविधता विरासत स्थलों का महत्व और उद्देश्य

(i) परंपरागत रूप से प्रबंधित क्षेत्रों में जैव विविधता संरक्षण को मजबूत करना और गहन रूप से प्रबंधित क्षेत्रों में जैव विविधता के तेजी से होते हुए नुकसान को रोकना। ऐसे क्षेत्रों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है।

(ii) किसी समुदाय में या उसके आस-पास बीएचएस होना ऐसे समुदाय के लिए गर्व और सम्मानजनक बात होनी चाहिए और यह समुदाय का भला कार्य अपनी आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करना है।

(iii) समाज के सभी वर्गों में संरक्षण के नैतिक मूल्यों की शिक्षा और उसका पालन करना आवश्यक है। बीएचएस का निर्माण समाज में इन नैतिक मूल्यों का होना सुनिश्चित करेगा और संरक्षण को प्रेरित करेगा।

(iv) बीएचएस का निर्माण स्थानीय समुदायों द्वारा स्वेच्छा से तय किए गए प्रतिबंधों के अलावा प्रचलित प्रथाओं और उपयोगों पर कोई प्रतिबंध नहीं लगा सकता है। इसका उद्देश्य संरक्षण प्रबंधन के माध्यम से स्थानीय समुदायों के जीवन की गुणवत्ता को बढ़ाना है।

3. जैव विविधता विरासत स्थल की अवधारणा

जैव विविधता विरासत स्थल वैसे विशिष्ट क्षेत्र होंगे, जो पारिस्थितिक रूप से नाजुक पारिस्थितिक तंत्र हैं - स्थलीय, तटीय और अंतर्देशीय जल और समुद्री जैव विविधता है जिसमें निम्नलिखित में से कोई एक या अधिक घटक शामिल हों-

- वन्य एवं घरेलू (wild & domisticated) प्रजातियों अथवा अंतर विशिष्ट श्रेणियों (intra-specific categories) की समृद्धि
- उच्च स्थानिकता (high endemism)
- दुर्लभ एवं संकटग्रस्ट प्रजातियों की उपस्थिति
- कीस्टोन प्रजातियां (keystone species)
- विकासवादी महत्व की प्रजातियां (species of evolutionary significance)
- घरेलू/खेती की गई प्रजातियों या उनकी किस्मों के जंगली पूर्वज (wild ancestors)

4. बीएचएस की विशेषताएं

(i) **विशिष्ट जैव विविधता** - बीएचएस में विशिष्ट और दुर्लभ प्रजातियाँ पाई जाती हैं।

(ii) **पारिस्थितिकी महत्व** - ये क्षेत्र पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण हैं।

(iii) **सांस्कृतिक महत्व** - बीएचएस में स्थानीय समुदायों की संस्कृतिक, परंपराएँ और जीवनशैली का संरक्षण होता है।

(iv) **प्राकृतिक सौन्दर्य** - ये क्षेत्र प्राकृतिक सौंदर्य के लिए प्रसिद्ध हैं।

5. जैव विविधता विरासत स्थल (BHS) के फायदें

(i) **पारिस्थितिकी संतुलन (Ecological Balance)** - जैव विविधता विरासत स्थल पारिस्थितिकी संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

(ii) **जैव विविधता का संरक्षण (Conservation of Biodiversity)** - इन स्थलों पर विशिष्ट पौधों, जानवरों और पारिस्थितिकी तंत्र का संरक्षण होता है।

(iii) **जलवायु परिवर्तन से सुरक्षा (Climate Change Mitigation)** - जलवायु परिवर्तन के प्रभावों को कम करने में मदद करते हैं।

(iv) **स्थानीय समुदायों की सुरक्षा (Local Community Protection)** - इन स्थलों पर स्थानीय समुदायों की संस्कृति, परंपराओं और जीवनशैली का संरक्षण होता है।

(v) **आर्थिक लाभ (Economic Benefits)** - पर्यटन और स्थानीय उद्योगों के विकास में योगदान करते हैं।

(vi) **शिक्षा और अनुसंधान (Education and Research)** - इन स्थलों पर वैज्ञानिक अनुसंधान और शिक्षा के अवसर प्रदान होते हैं।

(vii) **सांस्कृतिक विरासत संरक्षण (Cultural Heritage Conservation)** - हमारी सांस्कृतिक विरासत का हिस्सा हैं और हमें अपनी जड़ों से जोड़ते हैं।

(viii) **प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव (Natural Beauty Experience)** - इन स्थलों पर प्राकृतिक सौंदर्य का अनुभव करने का अवसर मिलता है।

(ix) **जैविक और पारिस्थितिकी सेवाएं (Ecological Services)**- जल शुद्धिकरण, मिट्टी का संरक्षण और वायु शुद्धिकरण जैसी पारिस्थितिकी सेवाएं प्रदान करते हैं।

(x) **राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय महत्व (National and International Significance)** - इन स्थलों का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महत्व है और वे वैश्विक जैव विविधता के संरक्षण में योगदान करते हैं।

6. बीएचएस पदनाम के लिए मानदंड

(i) अद्वितीय जैव विविधता (Unique biodiversity)

(ii) पारिस्थितक महत्व (Ecological significance)

(iii) सांस्कृतिक महत्व (Cultural importance)

(iv) संकटग्रस्ट या लुप्तप्राय प्रजातियाँ (Threatened or endangered species)

(v) प्रतिनिधि पारिस्थितिकी तंत्र (Representative ecosystems)

7. पहचान के लिए मानदंड

(i) प्राकृतिक, अर्ध-प्राकृतिक और मानव निर्मित आवासों का मिश्रण वाले क्षेत्र, जिनमें जीवन की विविधता का महत्वपूर्ण भंडार होता है।